

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2026/ 522  
प्रति,

बैतूल, दिनांक/ 22/04/2026

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
म.प्र. भोपाल

विषय :-

बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे, नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/ MP/ RAIL/ 150074 / 2021)

संदर्भ :-

- 1.- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 16.02.2026
- 2- आपका पत्र क्रमांक/ एफ-5/ 1211 दिनांक 18.02.2026

--00--

विषयांतर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दिनांक 16.02.2026 में उल्लेखित 08 बिंदुओं की जानकारी चाही गई है , वनमंडल से संबंधित बिंदुओं की जानकारी निम्नानुसार सम्प्रेषित है :-

बिंदु क्रमांक		वनमंडल की टीप
1	2	3
i.	The proposed 3rd railway line is a linear project; however, the State Government has submitted the proposal in a fragmented manner. The Regional Office, Bhopal sought justification for the isolated forest land polygons proposed for diversion. In response, the State Government informed that the forest patches were jointly inspected with the Forest Department and only those patches deficient in width for construction of the 3rd railway line were proposed for diversion. The State Government further stated that the forest patches not included in the diversion proposal are under Railway ownership; however, no documentary evidence has been furnished in support of this claim. Moreover, as per DSS analysis and the forest compartment boundary available therein, it is observed that the User Agency has not submitted complete KML files for the forest land falling within the forest compartment. As a result, the proposed KML file of the forest land appears disjointed and non-contiguous. The State Government is, therefore, requested to furnish correct and complete details in this regard.	आवेदक विभाग द्वारा रेल्वे की भूमि के मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज वनमंडल कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये है। आवेदक विभाग द्वारा disjointed and non-contiguous एरिया की KML परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की है। वनक्षेत्र से गुजर रही पूर्ण रेल्वे लाईन की KML प्रस्तुत नहीं की गई है।

<p><b>ii.</b></p>	<p>The State Government has further submitted that a portion of the land, proposed for diversion is under Railway ownership. The instant proposal pertains to the construction of a 3rd railway line, whereas two railway lines have already been established. The State Government shall clarify whether the establishment of the existing railway lines involved any violation of the provisions of the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.</p> <p>Further, a detailed chronology of the establishment of the existing railway lines, along with documentary evidence and details of approvals, if any, granted earlier by the Ministry, is required to be submitted by the State Government.</p>	<p>आवेदक विभाग द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के बाद 1986 में निर्मित ट्रेक नम्बर 2 (Down Main Line) की अनुमति के कोई अभिलेख वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है।</p>
<p><b>iii.</b></p>	<p>The proposed area falls within the Satpura-Melghat Tiger Corridor. The State Government was requested to furnish details regarding the extent of the proposal area falling within the tiger corridor. In response the State Government submitted fragmented patches falling within the corridor for Forest Clearance. Further, the State Government has submitted a proposal for diversion of 287.64 hectares for NBWL clearance. The State Government is requested to provide the present status of the wildlife clearance proposal.</p>	<p>Wildlife proposal (WL/ MP/ RAIL/ 468116/ 2024) के संबंध में वनमंडल द्वारा साईट इन्पेक्शन रिपोर्ट दिनांक 08.10.2025 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई थी।</p> <p>ऑनलाईन प्रस्ताव वर्तमान में शासन स्तर पर लंबित होना प्रदर्शित हो रहा है।</p>
<p><b>iv.</b></p>	<p>The REC sought No Objection Certificates (NoCs) from NHAI for locations where the proposed railway alignment intersects with NHAI infrastructure. The State Government has submitted the NoC from NHAI. However, details of any prior approvals granted by the Ministry to NHAI, if applicable, are also required to be submitted by the State Government.</p>	<p>प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य (वन्यजीव) अभिरक्षक म.प्र. भोपाल पृष्ठांकन क्रमांक/ व.त.अ.1 / म.प्र.रा.व.प्रा.बो. / 121/ 25.07/ 9768 दिनांक 17.11.2025 द्वारा सतपुड़ा-मेलघाट टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत इटारसी-बैतूल एन.एच.-46 (पुराना एन.एच.-69) को चार लेन चौड़ीकरण हेतु नर्मदापुरम वनमण्डल की 44.945 हे. तथा उत्तर बैतूल वनमण्डल की 56.525 हेक्टेयर कुल 101.47 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल को उपयोग पर देने की वन्यप्राणी अनुमति की सैद्धान्तिक वन्यजीव अनुमति सशर्त प्रदान की गई है। (छायाप्रति संलग्न है) उक्त अनुमति के आधार पर NHAI द्वारा रेलवे विभाग को प्रदान की गई NOC की कोई प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।</p>

<p>v.</p>	<p>The State Government has proposed Compensatory Afforestation (CA) over an area of 20.00 ha. However, as per DSS analysis, the CA area is observed to be 30.103 ha. Accordingly, the State Government is required to submit the correct CA details, along with the complete CA suitability certificate, and upload the same in Part-II of the PARIVESH portal.</p>	<p>बिंदु के संबंध में निवेदन है कि पूर्व में परिवेश पोर्टल 1.0 पर रेल्वे विभाग द्वारा 9.9857 हे. प्रस्तावित किया गया था, जिसके विरुद्ध 20 हे. रकबे में 20000 पौधे हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित की गई की जाकर परिवेश पोर्टल में अपलोड की गई थी, जिसमें 30 हे. कुल क्षेत्र एवं वृक्षारोपण क्षेत्र 20 हे. दिया गया था।</p> <p>रेल्वे विभाग द्वारा बाद में आवेदित क्षेत्र में संशोधन कर 8.0357 हे. रकबा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके एवज में 16.0714 हे. रकबें में 16071 पौधे हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित की गई जिसमें 20 हे. कुल क्षेत्र एवं वृक्षारोपण क्षेत्र 16.0714 हे. है।</p> <p>परिवेश पोर्टल 1.0 पर संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपलोड किये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण आपके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/579 दिनांक 12.04.2025 से योजना की प्रति आपकी ओर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी।</p> <p>परिवेश पोर्टल 1.0 पर संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपलोड किये जाने का विकल्प आने पर योजना अपलोड कर दी जावेगी।</p>
<p>vi</p>	<p>As per satellite imagery, pre-plantation work is visible on the proposed CA land. Accordingly, the State Government is requested to submit details of the plantation work, if any, carried out by the State Forest Department.</p>	<p>परिवेश पोर्टल 1.0 में तत्समय वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र की केएमएल अपलोड की गई थी, जिसे निरस्त किया गया है। वर्तमान में रेल्वे विभाग द्वारा प्रस्तावित 8.0357 हे. रकबा के एवज में 16.0714 हे. रकबें में 16071 पौधे हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित की गई जिसमें 20 हे. कुल क्षेत्र एवं वृक्षारोपण क्षेत्र 16.0714 हे. है। उक्त चयनित वनक्षेत्र में पूर्व का कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p>
<p>vii.</p>	<p>The State Government has reported a violation of the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 over an area of 0.0366 ha. Accordingly, the State Government is required to submit a detailed Action Taken Report in accordance with the provisions of the said Adhiniyam against the UA and Forest Department officials, who were not able to prevent the non-forestry use of forest land.</p>	<p>वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप वनमंडल कार्यालय के पत्र क्रमांक / माचि. / 2025 / 1854 दिनांक 17.12.2025 से निर्धारित प्रारूप में विस्तृत विवरण मय आवश्यक अभिलेखों के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित किये गये है। (छायाप्रति संलग्न है)</p>

viii	The User Agency has not uploaded the KML files for 11.1926 ha of non-forest land involved in the proposal on the PARIVESH portal. Consequently, the complete layout of the proposed railway line cannot be depicted. The State Government is, therefore, required to submit the same.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना में प्रभावित होने वाली फॉरेस्ट लैंड एवं नॉन फॉरेस्ट लैंड की कम्पलीट KML वनमण्डल कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई है।
------	---	---

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल/दिनांक/22/04/2026

पृ.क्रं./मा.चि./2026/ 523

प्रतिलिपि :-

- 1.- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
- 2.- उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन बैतूल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा चाही गई 08 बिन्दुओ पर अतिरिक्त जानकारी में आपसे से संबंधित जानकारी का बिन्दुवार प्रतिवेदन तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर सीधे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित कर वनमंडल कार्यालय को अवगत करावें ।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल